



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1905/2006

वी. प्रकाश राव

विरुद्ध

वी. अरुणा एवं अन्य



आदेश

आदेश हेतु प्रकरण दिनांक 29.08.2008 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(एकल पीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश)

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1905/2006

याचिकाकर्ता:

वी. प्रकाश राव, आयु लगभग 32 वर्ष, पिता श्री वी. अक्कलु, निवासी आदर्शनगर, कैंप-1, थाना छावनी, सी.बी. 10, क्वार्टर नंबर जी, भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. वी. अरुणा, आयु लगभग 28 वर्ष, पति वी. प्रकाश राव,
2. ईश्वर राव, आयु 8 वर्ष, पिता वी. प्रकाश राव,

उत्तरवादी क्रमांक 2 के अवयस्क होने के कारण उसका प्रतिनिधित्व उसकी नैसर्गिक संरक्षक माता श्रीमती वी. अरुणा राव के माध्यम से, निवासी गली 31, क्वार्टर नंबर 2/एफ/जोन 2, खुर्सीपार, भिलाई, थाना छावनी, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन याचिका)

उपस्थिति:

श्री एच.बी. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ में श्री सी.के. साहू, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री उत्तम पांडे, उत्तरवादीगण के अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 29.08.2008)



सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा:

(1) याचिकाकर्ता/पति ने प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय दुर्ग द्वारा एम.जे.सी. क्रमांक 326/2005 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.02.2006 की विधिमान्यता को चुनौती देते हुए यह याचिका प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात 'संहिता' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 125 के अधीन पारित एक पूर्ववर्ती आदेश के निष्पादन के विरुद्ध उठाई गई उसकी आपत्ति को कुटुंब न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

(2) एम.जे.सी. (दाण्डिक) क्रमांक 33/96 में, उत्तरवादीगण को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन क्रमशः 400/- रुपये एवं 300/- रुपये का मासिक भरण-पोषण स्वीकृत किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण क्रमांक 187/98 प्रस्तुत किया और उक्त पुनरीक्षण दिनांक 19.09.1998 को खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात, उत्तरवादीगण ने भरण-पोषण की राशि में परिवर्तन हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 के अधीन एम.जे.सी. क्रमांक 215/98 दिनांक 30.10.1998 को एक आवेदन प्रस्तुत किया परंतु उसे दिनांक 21.03.2005 को खारिज कर दिया गया। इसी बीच, पति ने व्यवहार वाद क्रमांक 52-ए/96 के माध्यम से विवाह विच्छेद हेतु एक याचिका प्रस्तुत की, जिसका निराकरण राजीनामा के आधार पर हुआ और पति के पक्ष में दिनांक 22.10.1999 को एक राजीनामा डिक्री पारित की गई तथा राजीनामा की शर्तों के अनुसार पति को विवाह



विच्छेद प्रदान किया गया और यह भी डिक्री का हिस्सा बनाया गया कि दोनों पक्षकार संपत्ति के संबंध में कोई भी दावा नहीं करेंगे। तत्पश्चात्, उत्तरवादीगण ने याचिकाकर्ता से भरण-पोषण की बकाया राशि और वर्तमान भरण-पोषण का दावा करते हुए एम.जे.सी. क्रमांक 326/2005 प्रस्तुत किया। इसी प्रकरण में, याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादन के विरुद्ध यह आपत्ति उठाई गई कि चूंकि व्यवहार वाद क्रमांक 52-ए/96 में पारित राजीनामा डिक्री के अनुसार दोनों पक्षकारों द्वारा दावों का परित्याग कर दिया गया था, अतएव राजीनामा की शर्तों के अनुसार, निष्पादन कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती। पति ने पत्नी और बच्चे के धर्म परिवर्तन तथा परिसीमा जैसे अन्य आधार भी उठाए। कुटुंब न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 10.02.2006 द्वारा आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया और याचिकाकर्ता को आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया।

(3) श्री एच.बी. अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि एक बार जब पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया और राजीनामा डिक्री पारित हो गई जिसमें यह शर्त शामिल है कि पक्षकार एक-दूसरे के विरुद्ध कोई दावा नहीं करेंगे, तो यह निष्पादन कार्यवाही पोषणीय नहीं थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कुटुंब न्यायालय द्वारा परिसीमा के बिंदु पर भी विचार नहीं किया गया।

(4) दूसरी ओर, श्री उत्तम पांडे, उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि राजीनामा डिक्री भरण-पोषण के बिंदु पर मौन है और उत्तरवादीगण ने निष्पादन



कार्यवाही में अपनी बकाया राशि और वर्तमान भरण-पोषण का सही दावा किया है, इसलिए आपत्ति को सही रूप से खारिज किया गया था।

(5) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को विस्तार से सुना है और रिट याचिका के अभिलेखों का भी परिशीलन किया है।

(6) यह एक स्थापित सिद्धांत है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध कोई भी प्रतिवाद संहिता के किसी उपबंध पर आधारित होनी चाहिए। धारा 125 वर्तमान मामले में दो पक्षकारों में से कमजोर पक्ष, जैसे की पत्नी, की रक्षा करने का एक उपबंध है। यदि परित्याग करने वाले के विरुद्ध भरण-पोषण का आदेश दिया गया है, तो यह तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि स्वयं संहिता के उपबंधों के अनुसार इसे रद्द या परिवर्तित नहीं किया जाता। यदि पति के पास संहिता की धारा 125 (4), (5) या धारा 127 के अधीन कोई आधार है, तो वह उचित कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र है। परंतु जब तक मूल भरण-पोषण आदेश को किसी उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित या रद्द नहीं किया जाता है या धारा 125 (4) या (5) या धारा 127 के निबंधनों में परिवर्तित या रिक्त नहीं किया जाता है, तब तक उसकी विधिमान्यता बनी रहती है। यह प्रवर्तनीय है और यह तर्क कि इस बीच सहवास हुआ है या पक्षकारों के बीच कोई राजीनामा हुआ है, एक वैध प्रतिवाद के रूप में मान्य नहीं हो सकती। (कृपया भूपिंदर सिंह विरुद्ध दलजीत कौर ए.आई.आर. 1979 एस.सी. 442 देखें)।



(7) स्वीकार्य रूप से, वर्तमान मामले में, भरण-पोषण का आदेश दिनांक 23.03.1998 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी भी न्यायालय द्वारा अपास्त या परिवर्तित नहीं किया गया है। यहाँ तक कि यदि हम व्यवहार वाद क्रमांक 52-ए/96 में दिनांक 22.10.1999 को पारित डिक्री की शर्तों को देखें, तो यह पत्नी या बच्चे के मासिक भरण-पोषण के बारे में कुछ नहीं कहती है। सुविधा के लिए डिक्री की शर्तें नीचे उद्धृत की गई हैं:

"राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार आज्ञासि पारित की जाती है :-

1. आवेदक एवं अनावेदिका के मध्य हुये विवाह दिनांक 15-8-90 के विवाह विच्छेद की डिक्री दी जाती है।
2. उभय पक्षकार इस संबंध में कोई भी क्लेम या दावा संपत्ति के बाबत नहीं करेंगे ।
3. पक्षकार अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

सही/-

ए.के. चर्तुवेदी

पंचम अति. जिला/सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (म.प्र.)"

(8) यह ध्यान देना दिलचस्प है कि वर्तमान निष्पादन कार्यवाही में पति द्वारा जो आपत्ति ली गई है, वह उसके द्वारा उत्तरवादीगण द्वारा भरण-पोषण की राशि में परिवर्तन हेतु संहिता की धारा 127 के अधीन प्रस्तुत एम.जे.सी. में कभी नहीं ली गई थी। वह एम.जे.सी. दिनांक 30.10.1998 को प्रस्तुत की गई थी और दिनांक 21.03.2005 को द्विपक्षीय रूप से निर्णित की गई थी, जबकि राजीनामा डिक्री दिनांक 22.10.1999 को पारित की गई थी और उक्त तथाकथित प्रतिवाद याचिकाकर्ता के पास





उपलब्ध था। अतएव, श्री अग्रवाल द्वारा उठाया गया पहला आधार विफल होता है और उसे खारिज किया जाता है।

(9) जहाँ तक परिसीमा के आधार का प्रश्न है, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह नहीं दिखाया है कि निष्पादन याचिका परिसीमा द्वारा कैसे वर्जित थी। यहाँ तक कि याचिकाकर्ता द्वारा कुटुंब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति में भी ऐसा कोई आधार नहीं लिया गया है, जिसकी प्रति अनुलग्नक-पी/7 के रूप में प्रस्तुत है। यह केवल आक्षेपित आदेश की कंडिका 3 में आता है कि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उत्तरवादीगण ने 4 वर्ष की अवधि के पश्चात बकाया राशि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

(10) उपरोक्त के आलोक में, मुझे कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं मिलती है। याचिका में कोई सार नहीं है, वह खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है। तथापि, यदि याचिकाकर्ता को उचित लगे, तो वह एक उचित आवेदन प्रस्तुत करके परिसीमा का आधार उठाने के लिए स्वतंत्र होगा और यदि ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो कुटुंब न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार उसका निराकरण किया जाएगा।

(11) इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2008 को दिया गया अंतर्वर्ती आदेश रद्द किया जाता है।

(12) वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।



सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

